सेवा में,

श्री बी. अनंत शर्मा,
कार्यपालक निदेशक (केंन्द्रीय आयोजन एवं सी.एस.) एवं अपीलीय प्राधिकारी,
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर –2 सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001, हरियाणा।

विषयः– दिनाँक 05 अप्रेल 2023 को आवेदक द्वारा की गई आर.टी.आई. (PGCIL/R/E/23/00126) के संदर्भ में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बिन्दु 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील।

महोदय,

आधोहस्ताक्षरी आवेदक ने दिनाँक 05 अप्रेल 2023 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु पावरग्रिड में ऑनलाइन आर.टी.आई आवेदन किया था जिसके संबंध में सूचना, दिनाँक 01 मई 2023 को मेल shailbikaner@gmail.com पर प्राप्त हुई (छाया प्रति संलगन)। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, अतः इस संबंध में प्रथम अपील बिन्दुवार निरुपण में आप के सम्मुख प्रस्तुत है।

- **चाही गई सूचना**– कॉरपोरेट कार्यालय के मानव संसाधन विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र 515/2021 दिनाँकः–27 अक्टूबर 2021 के एनेकजर 01 के डिफीकल्ट लोकेशन इन केटेगरी 01 दी गई है। कृपया सूचना के अधिकार 2005 के तहत, उन मापदण्डों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराऐं, जिनके आधार पर डिफीकल्ट लोकेशन इन केटेगरी 01 का निर्धारण किया गया है।
- **पावरग्रिड का जवाब**– मांगी गई सूचना, पावरग्रिड की बौधिक संपदा से संबंधित है, अतः इस प्रकार की सूचना को प्रकट किए जाने की सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1)(डी) के अंतर्गत छूट है।

अपील– चाही गई सूचना डिफीकल्ट लोकेशन की नीती/पॉलीसी से संबंधित थी। नीती कभी भी बौद्धिक संपदा के अंतर्गत नहीं आती, इसका सबसे बडा उदाहरण पावरग्रिड स्वयं है जिसकी मानव संसाधन पॉलीसी उसकी वेबसाईट पर डली हुई है एवं सभी कर्मचारियों के पढने हेतु सुलभ है। चाही गई सूचना न तो कोर्मशियल कांफीडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स अथवा बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती है। अतः सूचना के

Sharma

अधिकार की धारा 8(1) डी के अंतर्गत सूचना नहीं देना गलत है। ऐसा लगता है कि पावरग्रिड के पास डिफिकल्ट पोस्टिंग डिसाइड करने हेतु सुदृढ एवं पारदर्शी पोलिसी/नीति नहीं है।

चाही गई सूचना पावरग्रिड के कार्मिकों के व्यापक जनहित से संबंधित थी, डिफीकल्ट उपकेन्द्र, कार्यालय एवं साइट्स के निर्धारण की नीति सुस्पष्ट एवं पारदर्शी नहीं होने के कारण पावरग्रिड की कई लोकेशनस एवं साइट्स जो कि डिफीकल्ट पोस्टिंग के अंतर्गत आनी चाहिए थी, नहीं आ पा रही हैं। परिणामतः कई कार्मिक जिन्हें डिफीकल्ट पोस्टिंग का लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा है। इस कारण वर्तमान में अघोषित डिफीक्लट पोस्टिंग पर तैनात पावरग्रिड कार्मिकों एवं भविष्य में तैनात होने वाले कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों को पावरग्रिड द्वारा डिफीक्ल्ट पोस्टिं के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड रहा है/रहना पडेगा।

अघोषित डिफीक्लट लोकेशन एवं साइट्स पर तैनात कार्मिकों के आश्रितों को अच्छी चिकित्सा सुविधा, अच्छी शिक्षा से वंचित रहना पड रहा है, चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने अपने विभिन्न जज्मेंटस में राइट टू एजूकेशन, राइट टू प्रोपर मेडिकल अटेंडेंस को संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकार 21 राइट टू लाईफ एंड लिबर्टी का अंग माना है, अतः चाही गई सूचना को न देना अघोषित डिफीक्लट पोस्टिंग पर तैनात कार्मिकों एवं उनके आश्रितों मौलिक अधिकारों के इंजोयमेंट में बाधा उत्पन्न करना है।

अतः अपीलीय अधिकारी से निवेदन है कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

आवेदक का नाम – शैलेन्द्र शर्मा

आवेदक का पूरा पताः कीर्ति स्तम्भ के पास नगर निगम रोड बीकानेर 334001 (राजस्थान)।

आवेदक के हस्ताक्षर Sharma

दिनाँकः– 22·05·2023

अनुलग्नक-।

विषय: श्री शैलेंद्र शर्मा, बीकानेर, राजस्थान के आर.टी.आई. आवेदन का जवाब

(आर.टी.आई. रजि0 सं0: PGCIL/R/E/23/00126)

क्रमांक	मांगी गई सूचना:	पावरग्रिड का जवाब:
1)	कॉरपोरेट कार्यालय के मानव संसाधन विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र 515/2021 दिनांक-27 अक्टूबर 2021 के एन्नेकजर 01 के डिफीकल्ट लोकेशन इन केटेगरी 01 दी गई है। कृपया सूचना के अधिकार 2005 के तहत, उन मापदण्डों की प्रमाणित प्रति उपल्ब्ध कराएं, जिनके आधार पर डिफीकल्ट लोकेशन इन केटेगरी 01 का निर्धारण किया गया है। अगर चाही गई सूचना आपके कार्यालय मे उपलब्ध नहीं है तो कृपया आर.टी.आई. की धारा 6 (3) की अनुपालना सुनिश्चित करें}।	मांगी गई सूचना, पावरग्रिड की बौधिक संपदा से संबंधित है, अत: इस प्रकार की सूचना को प्रकट किए जाने की सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत छूट है।

*****

01/05/2023

पावर ग्रिड कोर्पोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर 29, गुडगांव, हरियाणा 122001
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001

CIN : L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 01 May, 2023

PGCIL/R/E/23/00126

Shri Shailender Sharma,
Near Kirty Stumbh Nagar Nigam Road, Bikaner-334001 Rajasthan

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 5 April, 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-। में संलग्न है ।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी. अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (केंद्रीय आयोजना एवं सी.एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571960

धन्यवाद,

भवदीय,

01/05/2023

(ए. जगन्नाथ राव)
मुख्य महाप्रबंधक (केंद्रीय आयोजना) एवं
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Speed Post.

सेवा में,

श्री बी. अनंत शर्मा,

कार्यपालक निदेशक (केन्द्रीय आयोजन एवं सी.एस)

केन्द्रीय कार्यालय,

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

सौदामिनी, प्लॉट नंबर-02, सेक्टर-29,

गुरुग्राम हरियाणा पिन-122001,

ER141392423IN
SPEED POST

पावरग्रिड POWERGRID
केन्द्रीय कार्यालय Corporate Centre
25 MAY 2023
प्राप्त किया RECEIVED
गुड़गाँव GURGAON